

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
शुद्धि पत्र

सं०सं०-ह०क० (13) योजना (प्रचार-प्रसार)-05/2016

स्वीकृत्यादेश सं०-1170 दिनांक-23.03.2017 की कंडिका-4 में उल्लिखित "योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न परिशिष्ट " क ") के अनुसार होंगे", के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाये:-

"योजना के व्यय विवरणी (संलग्न परिशिष्ट " क ") के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार से सार विपत्र-BTC-26 पर एक मुश्त अग्रिम के रूप में करेंगे"।

प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

शेष शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेंगे।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1273

पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1273

पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार भागलपुर/गया/बांका/ मधुबनी/सीवान/पटना/नालन्दा/औरंगाबाद/रोहतास/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1273

पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि-महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका/मधुबनी/सीवान/पटना/ नालन्दा/औरंगाबाद/रोहतास/नवादा/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1273

पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा), उद्योग विभाग/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।